



उपभोक्ता संरक्षण नयिम, 2021

प्रलिस के लयि:

उपभोक्ता संरक्षण अधनियिम, 2019, ई-दाखलि पोर्टल ।

मेन्स के लयि:

उपभोक्ता संरक्षण अधनियिम, 2019 की मुख्य वशिषताएँ ।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [उपभोक्ता संरक्षण अधनियिम, 2019](#) के प्रावधानों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण (ज़िला आयोग, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग के क्षेत्राधिकार) नयिम, 2021 को अधिसूचति कयि है ।

- अधनियिम, उपभोक्ता आयोग के प्रत्येक स्तर के आर्थिक क्षेत्राधिकार को नरिधारति करता है ।
- नए नयिमों ने उपभोक्ता की शकियतों के लयि आर्थिक क्षेत्राधिकार को संशोधति कयि ।
- इससे पहले केंद्र ने प्रत्यक्ष बकिरी उद्योग के लयि उपभोक्ता संरक्षण (प्रत्यक्ष बकिरी) नयिम, 2021 को अधिसूचति कयि था ।

प्रमुख बढि:

■ संशोधति आर्थिक क्षेत्राधिकार:

- ज़िला आयोगों के लयि 50 लाख रुपए (पहले 1 करोड़ से कम),
- 50 लाख रुपए से अधिक 2 करोड़ रुपए राज्य आयोगों के लयि (पहले 1 करोड़ से 10 करोड़),
- 2 करोड़ रुपए से अधिक राष्ट्रीय आयोग के लयि (पहले 10 करोड़ से अधिक) ।

■ उपभोक्ता संरक्षण अधनियिम, 2019 के बारे में:

- **उत्पाद दायित्व (Product Liability):** यदकिसी उत्पाद या सेवा में दोष पाया जाता है तो उत्पाद नरिमाता/वकिरेता या सेवा प्रदाता को क्षतपूरति के लयि ज़मिमेदार माना जाएगा । वधियक के अनुसार, किसी उत्पाद में नमिनलखिति आधारों पर दोष हो सकता है:
 - त्र-स्तरीय अर्ध-न्यायिक तंत्र: अधनियिम उपभोक्ता वविदों के नवारण के लयि एक त्र-स्तरीय अर्ध-न्यायिक तंत्र जैसे ज़िला आयोग, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग की घोषणा करता है ।
 - **शकियत का समयबद्ध नपिटान:** अधनियिम में कहा गया है क प्रत्येक शकियत का यथासंभव शीघ्र नपिटारा कयि जाएगा ।
 - यद वस्तुओं के वशिलेषण या परीक्षण की आवश्यकता नहीं है तो वरिधी पक्ष द्वारा नोटसि प्राप्त होने की तारीख से 3 महीने की अवधि के भीतर और यद वस्तुओं के वशिलेषण या परीक्षण की आवश्यकता है तो वरिधी पक्ष द्वारा नोटसि प्राप्त होने की तारीख से 5 महीने की अवधि के भीतर शकियत पर नरिणय लेने का प्रयास कयि जाएगा ।
 - **इलेक्ट्रॉनिक रूप से शकियत दर्ज करना:** अधनियिम उपभोक्ताओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से शकियत दर्ज करने का वकिलप भी प्रदान करता है ।
 - उपभोक्ताओं को अपनी शकियत ऑनलाइन दर्ज करने में सुवधि हेतु केंद्र सरकार ने 'ई-दाखलि' पोर्टल की स्थापना की है ।
 - **मध्यस्थता मार्ग:** अधनियिम में दोनों पक्षों की सहमति से मध्यस्थता के लयि उपभोक्ता वविदों का संदर्भ भी शामिल है ।
 - इससे न केवल वविद में शामिल पक्षों के समय और धन की बचत होगी, बल्कलिंबति मामलों को कम करने में भी मदद मलिंगी ।

स्रोत-पी.आई.बी

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/consumer-protection-rules,-2021>